

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 617

30 05 2024

विषय: IS 617: 2024 (सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रेमेल्टिंग और कास्टिंग के लिए एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्रधातु सिल्लियाँ — विशिष्टि) में संशोधन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 617: 1994 को IS 617: 2024 में संशोधित किया गया है। संशोधित IS 617: 2024 के अनुपालन की अंतिम तिथि **10 November 2024** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 617: 2024 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें।

(शिवम् आहूजा) वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 617 30 05 2024

Subject: Revision to Indian Standard 617:2024 (Aluminium and Aluminium Alloys Ingots for Remelting and Castings for General Engineering Purposes — Specification)

This is to inform to all concerned that IS 617: 1994 has been revised as IS 617:2024. Last date of implementation of the revised IS 617: 2024 is **10 November 2024**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the revised standard.

(Shivam Ahuja) Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices